

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 722]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2022 — अग्रहायण 23, शक 1944

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 14 दिसम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-122/2010/29-1.— विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के परामर्श के पश्चात्, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में, —

1. अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 7 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“7. गैर-स्वचालित तौल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक वर्ग — तीन तथा चार:-

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
400 टन	5000.00
300 टन	5000.00
200 टन	5000.00
150 टन	5000.00
100 टन	3000.00
80 टन	3000.00
60 टन	3000.00
50 टन	3000.00
40 टन	3000.00
30 टन	3000.00
25 टन	3000.00
20 टन	3000.00
15 टन	3000.00
10 टन	1500.00

5 टन	1500.00
3 टन	750.00
2 टन	750.00
1500 किग्रा.	400.00
1000 किग्रा.	400.00
500 किग्रा.	400.00
300 किग्रा.	300.00
250 किग्रा.	300.00
200 किग्रा.	300.00
150 किग्रा.	300.00
100 किग्रा.	250.00
50 किग्रा.	250.00
30 किग्रा.	250.00
25 किग्रा.	250.00
20 किग्रा.	150.00
15 किग्रा.	150.00
10 किग्रा.	150.00
5 किग्रा.	150.00
3 किग्रा.	150.00
2 किग्रा.	150.00
1 किग्रा.	150.00
500 ग्राम और उससे कम	150.00''

2. अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 8 के पश्चात्, निम्नलिखित सरल क्रमांक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

''8-क. गैर-स्वचालित तौल उपकरण इलेक्ट्रॉनिक एवं मशीनरी वर्ग -एक तथा दो :-

क्षमता	शुल्क (रु.)
(1)	(2)
10 टन से अधिक	5000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	4000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि.ग्रा. से अधिक	1500.00
50 कि.ग्रा. से अनधिक किन्तु 10 कि.ग्रा. से अधिक	400.00
10 कि.ग्रा. से अनधिक	300.00''

3. अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 9 की प्रविष्टि (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''(ग) अन्य उपकरण : -

क्षमता	शुल्क (रु.में)
(1)	(2)
100 ली. से अधिक	प्रथम 100 ली. के लिये रु. 500.00 + प्रत्येक अतिरिक्त 100 ली. या उसके भाग के लिये रु. 250.00
100 ली. से अनधिक किन्तु 50 ली. से अधिक	500.00
50 ली. से अनधिक किन्तु 20 ली. से अधिक	250.00
20 ली. से अनधिक	200.00''

4. अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 11 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

''11. रेखीय मापक उपकरण : -

टैक्सी, आटोरिक्षा मीटर	रु. 200.00
अन्य मीटर	प्रथम 1000 मी. या उसके भाग के लिए रु. 100+ प्रत्येक अतिरिक्त 100 मी. या उसके भाग के लिए रु. 10''

5. अनुसूची-नौ के सरल क्रमांक 17 के स्थान पर, निम्नलिखित सरल क्रमांक प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“17. काउन्टर मशीन :-

- (क) काउन्टर मशीन क्षमता 10 किलोग्राम तक : रुपये 30.00
 (ख) काउन्टर मशीन क्षमता 10 किलोग्राम से अधिक : रुपये 70.00”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
 नीलम पदुम एल्मा, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 14th December 2022

NOTIFICATION

No. F 10-122/2010/29-1.— In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (No.1 of 2010), after consultation with the Central Government, the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules 2011, namely : -

AMENDMENT

In Schedule of the said rules, -

- For serial number 7 of Schedule-IX, the following serial number shall be substituted, namely : -

“7. Non automatic weighing instrument electronic class-III and IV : -

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
400 ton	5000.00
300 ton	5000.00
200 ton	5000.00
150 ton	5000.00
100 ton	3000.00
80 ton	3000.00
60 ton	3000.00
50 ton	3000.00
40 ton	3000.00
30 ton	3000.00
25 ton	3000.00
20 ton	3000.00
15 ton	3000.00
10 ton	1500.00
5 ton	1500.00
3 ton	750.00
2 ton	750.00
1500 kg.	400.00
1000 kg.	400.00
500 kg.	400.00
300 kg.	300.00
250 kg.	300.00
200 kg.	300.00
150 kg.	300.00
100 kg.	250.00
50 kg.	250.00
30 kg.	250.00
25 kg.	250.00
20 kg.	150.00
15 kg.	150.00

10 kg.	150.00
5 kg.	150.00
3 kg.	150.00
2 kg.	150.00
1 kg.	150.00
500 gram and below	150.00”

2. After serial number 8 of Schedule-IX, the following serial number shall be added, namely : -

“8-A. Non Automatic weighing instrument, Electronic and Machinery Class -1 and 2

Capacity (1)	Fee (Rs.) (2)
Exceeding 10 ton	5000.00
Not Exceeding 10 ton but exceeding 1 ton	4000.00
Not Exceeding 1 ton but exceeding 50 Kg.	1500.00
Not Exceeding 50 Kg. but exceeding 10 kg.	400.00
Not Exceeding 10 kg.	300.00”

3. For entry (c) of serial number 9 of Schedule-IX, the following entry shall be substituted, namely : -

“(c) Other Instruments : -

Capacity (1)	Fee (in Rs.) (2)
Exceeding 100 litre.	Rs. 500.00 for the first 100 litre + Rs.250.00 for every additional 100 litre or part thereof
Not exceeding 100 litre but exceeding 50 litre.	500.00
Not exceeding 50 litre but exceeding 20 litre.	250.00
Not exceeding 20 litre	200.00”

4. For serial number 11 of Schedule-IX, the following serial number shall be substituted, namely : -

“11. Linear Measuring Instruments:-

Taxi, Autorickshaw meters	Rs. 200.00
Other meters	Rs. 100 for the first 1000 mtrs. or part thereof + Rs. 10 for every additional 100 mtrs. or part thereof ”

5. For serial number 17 of Schedule-IX, the following serial number shall be substituted, namely : -

“17. Counter Machine:-

- (a) Counter Machine up to capacity 10 Kg. : Rs. 30.00
(b) Counter Machine above capacity 10 Kg. : Rs. 70.00”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
NEELAM PADUM ALMA, Deputy Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 630]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 दिसम्बर 2021 — अग्रहायण 30, शक 1943

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 17 दिसम्बर 2021

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-122/2010/29-1.— विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 (2010 का सं. 1) की धारा 53 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विधिक माप विज्ञान (प्रवर्तन) नियम, 2011 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची—नौ के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“अनुसूची—नौ

[नियम 17 (1) देखिए]

बांट और माप, तथा बांट एवं माप उपकरण, को सत्यापित एवं स्टाम्पित किए जाने हेतु देय शुल्क

1. (क) बुलियन बांट:—

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
10 कि.ग्रा.	50.00
5 कि.ग्रा.	30.00
2 कि.ग्रा.	30.00
1 कि.ग्रा.	30.00
500 ग्रा.	20.00
200 ग्रा.	20.00
100 ग्रा.	20.00
50 ग्रा.	20.00
20 ग्रा.	20.00
10 ग्रा.	20.00

5	ग्रा.	20.00
2	ग्रा.	20.00
1	ग्रा.	20.00

(ख) कैरेट बांट:-

100	ग्रा. (500 के.)	30.00
40	ग्रा. (200 के.)	30.00
20	ग्रा. (100 के.)	30.00
10	ग्रा. (50 के.)	30.00
4	ग्रा. (20 के.)	30.00
2	ग्रा. (10 के.)	30.00
1	ग्रा. (5 के.)	30.00
400	मि.ग्रा. (2 के.)	30.00
200	मि.ग्रा. (1 के.)	30.00
100	मि. ग्रा. (0.5 के.)	30.00
40	मि. ग्रा. (0.02 के.)	30.00
20	मि. ग्रा. (0.01 के.)	30.00
10	मि. ग्रा. (0.05 के.)	30.00
4	मि. ग्रा. (0.02 के.)	30.00
2	मि. ग्रा. (0.01 के.)	30.00
1	मि. ग्रा. (0.005 के.)	30.00

(ग) बेलनाकार बांट:-

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
10 कि.ग्रा.	30.00
5 कि.ग्रा.	30.00
2 कि.ग्रा.	20.00
1 कि.ग्रा.	15.00
500 ग्रा.	10.00
200 ग्रा.	10.00
100 ग्रा.	10.00
50 ग्रा.	10.00
20 ग्रा.	10.00
10 ग्रा.	10.00
5 ग्रा.	10.00
2 ग्रा.	10.00
1 ग्रा.	10.00

(घ) (बुलियन से भिन्न) शीट मेटल बांट:-

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
500 मि.ग्रा.	10.00
200 मि.ग्रा.	10.00
100 मि.ग्रा.	10.00
50 मि.ग्रा.	10.00
20 मि.ग्रा.	10.00
10 मि.ग्रा.	10.00
5 मि.ग्रा.	10.00
2 मि.ग्रा.	10.00
1 मि.ग्रा.	10.00

(ड.) लौह षटकोणीय, बेलनाकार बांट तथा समानांतर नलीय बांट:-

इकाई (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
50 कि.ग्रा.	40.00
20 कि.ग्रा.	30.00
10 कि.ग्रा.	30.00
5 कि.ग्रा.	30.00
2 कि.ग्रा.	20.00
1 कि.ग्रा.	15.00
500 ग्रा.	10.00
200 ग्रा.	10.00
100 ग्रा.	10.00
50 ग्रा.	10.00
20 ग्रा.	10.00
10 ग्रा.	10.00
5 ग्रा.	10.00
2 ग्रा.	10.00
1 ग्रा.	10.00

(च) उच्च क्षमता तौल मशीन की जांच हेतु मानक बांट:-

अभिधान	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से संबंधित तत्संबंधी शुल्क 0.5 / 10000 रु. में	अधिकतम अनुज्ञेय त्रुटि से संबंधित तत्संबंधी शुल्क 3.3 / 10000, 1.7 / 10000 और 1.0 / 10000 रु. में
100 कि.ग्रा.	150.00	100.00
200 कि.ग्रा.	200.00	200.00
500 कि.ग्रा.	400.00	400.00
1000 कि.ग्रा.	1000.00	1000.00
2000 कि.ग्रा.	2000.00	2000.00
5000 कि.ग्रा.	4000.00	4000.00

2. क्षमता मापक:-

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
100 ली. और अधिक	प्रथम 100 ली. के लिए 100 रु. +प्रत्येक अतिरिक्त 100 ली. या उसके भाग के लिए 10 रु., अधिकतम 50000 रु. के अध्वधीन
50 ली.	100.00
20 ली.	50.00
10 ली.	50.00
5 ली.	50.00
2 ली.	25.00
1 ली.	25.00
500 मि.ली.	25.00
200 मि.ली.	25.00
100 मि.ली.	25.00
50 मि.ली.	25.00

20 मि.ली.	20.00
10 मि.ली.	20.00
5 मि.ली.	20.00
2 मि.ली.	20.00
1 मि.ली.	20.00

3. लंबाई मापक:-

(क) अपरिवर्तनीय (अनम्य)-

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
2 मी.	20.00
1 मी.	20.00
0.5 मी.	20.00
1 मी. अंशित (प्रत्येक सेमी पर)	50.00
0.5 मी. अंशित (प्रत्येक सेमी पर)	50.00

(ख) फेब्रिक प्लास्टिक/बुना हुआ/स्टील टेप-

यथार्थता वर्ग (1)	शुल्क प्रति मी. (रु.) (2)
यथार्थता वर्ग -एक	10.00
यथार्थता वर्ग -दो	5.00
यथार्थता वर्ग -तीन	5.00

(ग) फोल्डिंग स्केल-

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
1 मी.	20.00
0.5 मी.	20.00

(घ) सर्वेक्षण चैन-

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
30 मी.	200.00
20 मी.	200.00

4. बीम स्केल श्रेणी-क तथा ख:-

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
200 कि.ग्रा.	500.00
100 कि.ग्रा.	400.00
50 कि.ग्रा.	300.00
20 कि.ग्रा.	200.00
10 कि.ग्रा.	200.00
5 कि.ग्रा.	150.00
2 कि.ग्रा.	150.00
1 कि.ग्रा.	150.00
500 ग्राम और उससे कम	100.00

5. बीम स्केल श्रेणी-ग तथा घ:-

अभिधान (1)	शुल्क प्रति नग (रु.) (2)
1000 कि.ग्रा.	500.00
500 कि.ग्रा.	300.00
300 कि.ग्रा.	300.00
200 कि.ग्रा.	200.00
100 कि.ग्रा.	200.00
50 कि.ग्रा.	100.00
20 कि.ग्रा.	30.00
10 कि.ग्रा.	30.00
5 कि.ग्रा.	30.00
2 कि.ग्रा.	20.00
1 कि.ग्रा.	20.00
500 ग्राम और उससे कम	20.00

6. गैर-स्वचालित तौल उपकरण-यांत्रिकी वर्ग-तीन तथा चार:-

400 टन	4000.00
300 टन	3000.00
200 टन	3000.00
150 टन	2000.00
100 टन	2000.00
80 टन	2000.00
60 टन	2000.00
50 टन	2000.00
40 टन	2000.00
30 टन	2000.00
25 टन	2000.00
20 टन	2000.00
15 टन	2000.00
10 टन	1000.00
5 टन	500.00
3 टन	400.00
2 टन	400.00
1500 कि.ग्रा.	300.00
1000 कि.ग्रा.	300.00
500 कि.ग्रा.	300.00
300 कि.ग्रा.	200.00
250 कि.ग्रा.	200.00
200 कि.ग्रा.	100.00
150 कि.ग्रा.	100.00
100 कि.ग्रा.	100.00
50 कि.ग्रा.	100.00
30 कि.ग्रा.	100.00
25 कि.ग्रा.	60.00
20 कि.ग्रा.	60.00
15 कि.ग्रा.	30.00
10 कि.ग्रा.	30.00
5 कि.ग्रा.	30.00
3 कि.ग्रा.	30.00
2 कि.ग्रा.	30.00
1 कि.ग्रा.	15.00
500 ग्राम और उससे कम	15.00

7. गैर-स्वचालित तौल उपकरण इलेक्ट्रानिक वर्ग-तीन तथा चार:-

400 टन	5000.00
300 टन	5000.00
200 टन	5000.00
150 टन	5000.00
100 टन	5000.00
80 टन	4000.00
60 टन	4000.00
50 टन	4000.00
40 टन	4000.00
30 टन	3000.00
25 टन	3000.00
20 टन	3000.00
15 टन	3000.00
10 टन	3000.00
5 टन	1000.00
3 टन	1000.00
2 टन	1000.00
1500 कि.ग्रा.	1000.00
1000 कि.ग्रा.	1000.00
500 कि.ग्रा.	1000.00
300 कि.ग्रा.	500.00
250 कि.ग्रा.	500.00
200 कि.ग्रा.	500.00
150 कि.ग्रा.	500.00
100 कि.ग्रा.	300.00
50 कि.ग्रा.	300.00
30 कि.ग्रा.	300.00
25 कि.ग्रा.	300.00
20 कि.ग्रा.	200.00
15 कि.ग्रा.	200.00
10 कि.ग्रा.	200.00
5 कि.ग्रा.	200.00
3 कि.ग्रा.	200.00
2 कि.ग्रा.	200.00
1 कि.ग्रा.	200.00
500 ग्राम और उससे कम	200.00

8. स्वचालित तौल उपकरण :-

क्षमता	शुल्क(रु.)
100 टन से अधिक	5000.00
100 टन से अनधिक किन्तु 50 टन से अधिक	4000.00
50 टन से अनधिक किन्तु 10 टन से अधिक	3000.00
10 टन से अनधिक किन्तु 1 टन से अधिक	2000.00
1 टन से अनधिक किन्तु 50 कि.ग्रा. से अधिक	1500.00
50 कि.ग्रा. से अनधिक किन्तु 10 कि.ग्रा. से अधिक	1000.00
10 कि.ग्रा. से अनधिक	500.00

9. आयतन मापक उपकरण:-

(क) डिस्पेंसिंग पम्प, प्रति पम्प : रु. 1500.00 प्रति इकाई

(ख) जोड़(टोटलाईज़र) काउंटर : रु. 750.00 प्रति इकाई

(ग) अन्य उपकरण:-

क्षमता	शुल्क (रु.)
10000 ली. तक	5000.00
10000 ली. से अनधिक किन्तु 25000 ली. तक	15000.00
25000 ली. से अधिक	25000.00

10. फलोमीटर :-

100 ली./मिनट तक	3000.00 रु.
फलो रेट	
100 ली./मिनट से अधिक	
किन्तु 500 ली./मिनट तक	4000.00 रु.
500 ली./मिनट से अधिक	5000.00 रु.

11. रेखीय मापक उपकरण:-

टैक्सी, आटोरिक्षा मीटर	रु. 200.00
अन्य मीटर	प्रथम 1000 मी. या उसके भाग के लिए रु.100 + प्रत्येक अतिरिक्त 100 मी. या उसके भाग के लिए रु.10

12. चिकित्सकीय तापमापी (थर्मामीटर) रु.10.00 प्रति इकाई

13. जलमापी रु.100.00 प्रति इकाई

14. पेग मापक:-

30 मि.ली.	100.00
60 मि.ली.	100.00
100 मि.ली.	200.00

15. सी.एन.जी. डिस्पेंसर : रु.3000.00 प्रति इकाई

16. एल.पी.जी. डिस्पेंसर : रु.3000.00 प्रति इकाई

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार सोनी, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 17th December 2021

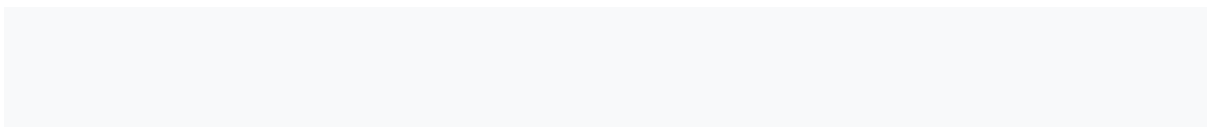
NOTIFICATION

No. F 10-122/2010/29-1.— In exercise of the powers conferred by Section 53 of the Legal Metrology Act, 2009 (No.1 of 2010), after consultation with the Central Government, the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Legal Metrology (Enforcement) Rules, 2011, namely:-

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,-

For Schedule IX, the following shall be substituted, namely:-



“SCHEDULE-IX
[See rule 17(1)]

FEE PAYABLE FOR VERIFYING AND STAMPING OF WEIGHTS AND MEASURES AND
WEIGHING AND MEASURING INSTRUMENTS

1. (a) Bullion Weights:-

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 kg.	50.00
5 kg.	30.00
2 kg.	30.00
1kg.	30.00
500 g.	20.00
200 g.	20.00
100 g.	20.00
50 g.	20.00
20 g.	20.00
10 g.	20.00
5 g.	20.00
2 g.	20.00
1 g.	20.00

(b) Carat Weights:-

100 g. (500 c)	30.00
40 g. (200 c)	30.00
20 g. (100 c)	30.00
10 g. (50 c)	30.00
4 g. (20 c)	30.00
2 g. (10 c)	30.00
1 g. (5 c)	30.00
400 mg. (2 c)	30.00
200 mg. (1 c)	30.00
100 mg. (0.5 c)	30.00
40 mg. (0.02 c)	30.00
20 mg. (0.01 c)	30.00
10 mg. (0.05 c)	30.00
4 mg. (0.02 c)	30.00
2 mg. (0.01 c)	30.00
1 mg. (0.005 c)	30.00

(c) Cylindrical knob type Weights:-

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
10 kg.	30.00
5 kg.	30.00
2 kg.	20.00
1 kg.	15.00
500 g.	10.00

200 g.	10.00
100 g.	10.00
50 g.	10.00
20 g.	10.00
10 g.	10.00
5 g.	10.00
2 g.	10.00
1 g.	10.00

(d) Sheet metal Weights (other than bullion):-

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
500 mg.	10.00
200 mg.	10.00
100 mg.	10.00
50 mg.	10.00
20 mg.	10.00
10 mg.	10.00
5 mg.	10.00
2 mg.	10.00
1 mg.	10.00

(e) Iron hexagonal, knob type weights and parallelepiped Weights:-

Piece (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
50 kg.	40.00
20 kg.	30.00
10 kg.	30.00
5 kg.	30.00
2 kg.	20.00
1 kg.	15.00
500 g.	10.00
200 g.	10.00
100 g.	10.00
50 g.	10.00
20 g.	10.00
10 g.	10.00
5 g.	10.00
2 g.	10.00
1 g.	10.00

(f) Standard weights for testing of high capacity weighing machines:-

Denomination	Fee corresponding to Max permissible relative error 0.5/10000 in Rs.	Fee corresponding to Max permissible relative error 3.3/10000, 1.7/10000 and 1.0/10000 in Rs.
100 kg.	150.00	100.00
200 kg.	200.00	200.00
500 kg.	400.00	400.00
1000 kg.	1000.00	1000.00
2000 kg.	2000.00	2000.00
5000 kg.	4000.00	4000.00

2. Capacity Measures:-

Denomination (1)	Fee Per piece (Rs.) (2)
100 litre and above	Rs. 100 for the 1st 100 Litre + Rs. 10 for

	every additional 100 Litre or part there of subject to maximum of Rs. 50000
50 ltr.	100.00
20 ltr.	50.00
10 ltr.	50.00
5 ltr.	50.00
2 ltr.	25.00
1 ltr.	25.00
500 ml.	25.00
200 ml.	25.00
100 ml.	25.00
50 ml.	25.00
20 ml.	20.00
10 ml.	20.00
5 ml.	20.00
2 ml.	20.00
1 ml.	20.00

3. Length Measures:-**(a) Non-flexible-**

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
2 m.	20.00
1 m.	20.00
0.5 m.	20.00
1 m. graduated (at every cm.)	50.00
0.5 m. graduated (at every cm.)	50.00

(b) Fabric plastic/woven/steel tapes-

Accuracy class (1)	Fee per meter (Rs.) (2)
Accuracy class - I	10.00
Accuracy class - II	5.00
Accuracy class - III	5.00

(c) Folding Scales -

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
1 m.	20.00
0.5 m.	20.00

(d) Surveying chain -

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
30 m.	200.00
20 m.	200.00

4. Beam Scale Class – A and B:-

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
200 kg.	500.00
100 kg.	400.00
50 kg.	300.00
20 kg.	200.00
10 kg.	200.00
5 kg.	150.00

2 kg.	150.00
1 kg.	150.00
500 g. and below	100.00

5. Beam scale class C and D:-

Denomination (1)	Fee per piece (Rs.) (2)
1000 kg.	500.00
500 kg.	300.00
300 kg.	300.00
200 kg.	200.00
100 kg.	200.00
50 kg.	100.00
20 kg.	30.00
10 kg.	30.00
5 kg.	30.00
2 kg.	20.00
1 kg.	20.00
500 g. and below	20.00

6. Non automatic weighing instrument mechanical class-III and IV:-

400 ton	4000.00
300 ton	3000.00
200 ton	3000.00
150 ton	2000.00
100 ton	2000.00
80 ton	2000.00
60 ton	2000.00
50 ton	2000.00
40 ton	2000.00
30 ton	2000.00
25 ton	2000.00
20 ton	2000.00
15 ton	2000.00
10 ton	1000.00
5 ton	500.00
3 ton	400.00
2 ton	400.00
1500 kg.	300.00
1000 kg.	300.00
500 kg.	300.00
300 kg.	200.00
250 kg.	200.00
200 kg.	100.00
150 kg.	100.00
100 kg.	100.00
50 kg.	100.00
30 kg.	100.00
25 kg.	60.00
20 kg.	60.00
15 kg.	30.00
10 kg.	30.00
5 kg.	30.00
3 kg.	30.00
2 kg.	30.00
1 kg.	15.00
500 g. and below	15.00

7. Non automatic weighing instrument electronic class-III and IV:-

400 ton	5000.00
300 ton	5000.00
200 ton	5000.00
150 ton	5000.00
100 ton	5000.00
80 ton	4000.00
60 ton	4000.00
50 ton	4000.00
40 ton	4000.00
30 ton	3000.00
25 ton	3000.00
20 ton	3000.00
15 ton	3000.00
10 ton	3000.00
5 ton	1000.00
3 ton	1000.00
2 ton	1000.00
1500 kg.	1000.00
1000 kg.	1000.00
500 kg.	1000.00
300 kg.	500.00
250 kg.	500.00
200 kg.	500.00
150 kg.	500.00
100 kg.	300.00
50 kg.	300.00
30 kg.	300.00
25 kg.	300.00
20 kg.	200.00
15 kg.	200.00
10 kg.	200.00
5 kg.	200.00
3 kg.	200.00
2 kg.	200.00
1 kg.	200.00
500 g. and below	200.00

8. Automatic weighing instrument:-

Capacity	Fee (Rs.)
Exceeding 100 ton	5000.00
Not Exceeding 100 ton but Exceeding 50 ton	4000.00
Not Exceeding 50 ton but Exceeding 10 ton	3000.00
Not Exceeding 10 ton but Exceeding 1 ton	2000.00
Not Exceeding 1 ton but Exceeding 50 kg.	1500.00
Not Exceeding 50 kg. but Exceeding 10 kg.	1000.00
Not Exceeding 10 kg.	500.00

9. Volumetric Measuring Instruments:-

(a) Dispensing Pump, each pump : Rs. 1500.00 per Unit

(b) Totalizing Counter : Rs. 750.00 per Unit

(c) Other Instruments :-

Capacity	Fee (Rs.)
Upto 10000 ltr.	5000.00
Not exceeding 10000 ltr. but exceeding 25000 ltr.	15000.00
Above 25000 ltr.	25000.00

10. Flow meter:-

Flow rate up to 100 ltr./Min.	Rs.3000.00
Above 100 ltr./min. but Up to 500 ltr./min.	Rs.4000.00
Above 500 ltr./min.	Rs.5000.00

11. Linear Measuring Instruments:-

Taxi, Autorickshaw meters	Rs.200.00
Other meters	Rs 100 for the 1st 10000 m or part thereof + Rs. 10 for every additional 100m or part thereof

12. Clinical Thermometer Rs. 10.00 per Unit**13. Water meter** Rs. 100.00 per Unit**14. Peg Measures:-**

30 ml.	Rs. 100.00
60 ml.	Rs. 100.00
100 ml.	Rs. 200.00

15. CNG Dispensers: Rs. 3000.00 per unit.**16. LPG Dispensers:** Rs. 3000.00 per unit."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
MANOJ KUMAR SONI, Special Secretary.